

कार्यालय जिला पंचायत (पंचायत अनुभाग) बस्तर जिला जगदलपुर
// विज्ञापन //

क्रमांक/2434/जि0पं0/पं0अ0/2026-27

जगदलपुर दिनांक 13/10/2026

जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर के ग्राम पंचायतों में रिक्त ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/3640-ए/पंचाविवि/22/2008, रायपुर दिनांक 29-08-2008 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा/पंचाविवि/2009/508, रायपुर दिनांक 11-05-2009 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB/16397/2025/22-1, नवा रायपुर दिनांक 18-05-2026 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB/5222/2025/22-1, नवा रायपुर दिनांक 04-04-2026 एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB/16612/2026, नवा रायपुर दिनांक 21-08-2026 तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/ESTB-1/1005/2026/DIR नवा रायपुर दिनांक 07-09-2026 के निर्देशानुसार अनुसार ग्राम पंचायत सचिव की निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन निर्धारित अर्हता एवं योग्यता रखने वाले बस्तर जिले के मूल निवासी (सात विकासखण्ड हेतु पात्र एवं ईच्छुक) उम्मीदवारों से दिनांक 16/11/2026 को 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर जिला जगदलपुर के पद नाम से प्रेषित किया जा सकता है। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है:-

ग्राम पंचायत सचिव हेतु रिक्त पदों की गणना

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म	म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ग्राम पंचायत सचिव (नवीन ग्राम पंचायत)	70	10	4	-	1	15	6	3	-	1	10	1	-	-	-	1	22	13	5	4	44	39	20	5	6	70
	योग	70	10	4	0	1	15	6	3	0	1	10	1	0	0	0	1	22	13	5	4	44	39	20	5	6	70

टीप:- 1- मु=मुक्त, महि=महिला, भू0सै0=भूतपूर्व सैनिक, दिव=दिव्यांग

निम्नानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

(दिव्यांग अजजा ((1)-अंध एवं निम्न दृष्टि-02, (2)बधिर और श्रवण शक्ति में हास-02, (3)चलन निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घाट, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है-01) के लिये आरक्षित है।)

(1) आयु सीमा:- दिनांक 01-01-2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त जन तथा महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। शासन के अधीन शासकीय सेवा में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम मंडल, संविदा कर्मी व नगर सैनिकों के कर्मचारियों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए आवेदन किए जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

(2) वेतनमान:- 3500-10000+ ग्रेड वेतन 1100, शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्ते।

(3) शैक्षणिक अर्हता:-1.ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होगी।

2. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा।

चयन प्रक्रिया :-

(a)	हायर सेकेण्डरी के अंकों का अधिभार	50 प्रतिशत
(b)	उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम	10 अंक (स्नातक-05 अंक, स्नातकोत्तर-05 अंक)
(c)	कम्प्युटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार	25 प्रतिशत
(d)	रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का अधिभार	15 अंक (प्रत्येक वर्ष 03 अंक के मान से अधिकतम 05 वर्ष का अंक, एक वर्ष न्यूनतम 09 माह का कार्यानुभव)

(4) सामान्य अर्हता एवं शर्तें:-

- 1- ग्राम पंचायत सचिवों के उपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा की शर्तें यथा स्थिति जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों के समान ही होगी।
 - 2- कोई उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात् यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - 3- कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - 4- आरक्षित वर्ग के पदों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
 - 5- उम्मीदवारों को जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - 6- आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला पंचायत बस्तर एवं संबंधित जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।
 - 7- अनुभव का लाभ लेने हेतु नियोक्ता द्वारा प्रदाय नियुक्ति आदेश संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
 - 8- पूर्व में सेवा दे चुके एवं वर्तमान में कार्यरत रोजगार सहायकों द्वारा (जिस ग्राम पंचायत में कार्यरत थे/हैं) का सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित "न-मांगू, न-जांच" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।
 - 9- छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। (कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल के सेवकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
 - 10- आवेदक लिफाफा के उपर "आवेदित ग्राम पंचायत सचिव हेतु आवेदन 2026" अंकित किया जावे।
 - 11- आवेदक अपना आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा, पिन कोड सहित दो लिफाफा भी संलग्न करेंगे, जिसमें से एक लिफाफा 40/- रुपये मूल्य का टिकट एवं एक लिफाफा में 40/- रुपये मूल्य का टिकट चस्पा करेंगे।
 - 12- आवेदन पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - 13- चयनित ग्राम पंचायत सचिवों को तीन वर्ष की परिवीक्षावधि में नियुक्त किया जावेगा, जिसे 05 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। कर्मचारी के कार्य तथा उनके आचरण उपर्युक्त पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा परिवीक्षा अवधि समाप्त किया जावेगा। यदि कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।
 - 14- रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है तथा विज्ञापित पद निरस्त भी किया जा सकता है, जिसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 - 15- प्रावीण्य सूची का प्रकाशन (दावा आपत्ति हेतु) जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सूचना बोर्ड में चस्पा की जावेगी।
 - 16- चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनके आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 - 17- निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा। तदुपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के मान से लिखित/कौशल परीक्षा के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा। लिखित/कौशल परीक्षा में 33 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
 - 18- भर्ती से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से जिला कार्यालय की वेबसाईड www.bastar.gov.in का अवलोकन करते रहेंगे।
 - 19- किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- टीप:- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईड www.bastar.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर
जगदलपुर

कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर
के लिये ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन वर्ष 2026-27

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बस्तर
जगदलपुर

आवेदक नवीनतम
पाराफोट फोटो
चरपा करें।

आवेदित पद का नाम :-

- 1 आवेदक का पूरा नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जाति : लिंग :- महिला/पुरुष.....
(अनाथ/अपिब/अजा/अजजा)
- 4 जन्म तिथि :/...../.....
- 5 दिनांक 01/01/2026 को आयु : दिन...../माह...../वर्ष.....
- 6 क्या आप विकलांग है। यदि हाँ तो : हाँ/नहीं (.....) प्रकार (.....) प्रतिशत (.....)
विकलांगता का प्रकार (अंध एवं निम्न
दृष्टि/बधिर और श्रवण शक्ति में हास
/बधिर) एवं प्रतिशत लिखें।
- 7 आवेदक का वर्तमान पता (निवास प्रमाण :
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
- 8 आवेदक का स्थायी पता ((निवास प्रमाण :
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
- 9 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन :
प्रमाण पत्र

10 शैक्षणिक योग्यता:-

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि०वि० का नाम,	वर्ष	प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

- 11 क्या आवेदक भू0सैनिक है? हॉ/नही :
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
संलग्न करें।
- 12 क्या दो से अधिक जीवित संतान है? जीवित संतान की संख्या (.....)
हॉ/नही जन्म तिथि 1-(.....) 2-(.....) 3-(.....)

13 अनुभव:- रोजगार सहायक के पद पर कार्य का अनुभव ही मान्य होगा।

क्रमांक	संस्था का नाम	पद का नाम	अवधि (कब से कब तक)

टीप:- यदि वर्तमान में कॉलम नं 13 में दर्शित पदों पर कार्यरत है, तो नियुक्तकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुभव का लाभ लेने के लिये नियुक्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित "न-मांग, न-जांच" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

(कुल सहपत्रों की संख्या)

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

// घोषणा //

मैं एतद् घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। यदि उपर्युक्त विवरण का कोई अंश/तथ्य असत्य पाया जाता है तो नियुक्ति के पश्चात् भी सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड जो वह उचित समझे के लिये मैं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर